अध्याय 2

लेखापरीक्षा संरचना

लेखापरीक्षा संरचना

2
अध्याय

2-1 y[kkijh{kk vf/kns'k

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25(2) के साथ पढ़े गए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत डी डी ए में भूमि प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी। भूमि के विकास से संबंधित डी डी ए के कार्यों की समीक्षा की गई थी तथा इसे भारत के सी एण्ड ए जी की 2006 की प्रतिवेदन सं. 2 के अध्याय-II में प्रतिवेदित किया गया था। भूमि के अधिग्रहण एवं विकास पर निष्पादन लेखापरीक्षा को भारत के सी एण्ड ए जी के 2011–12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 17 के अध्याय-V में प्रतिवेदित किया गया था। 2006 की प्रतिवेदन संख्या 2 पर लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं के अनुपालन को समुचित रूप से इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

2-2 y[kkijh{kk mís'k

निष्पादन लेखापरीक्षा यह मूल्यांकन करने के लिए आयोजित की गई थी कि:

- क्या भूमि प्रबन्धन गतिविधियाँ दक्षता, मितव्ययता और प्रभावशाली रुप से निष्पादित की गई थी तथा क्या इन्हें उचित विधिक एवं नियामक संरचना के अनुरुप किया गया था;
- क्या भूमि प्रबन्धन गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए एक सक्षम योजना तंत्र विद्यमान एवं कार्यरत था;
- क्या रिकार्ड के प्रबन्धन और प्रलेखन की एक प्रभावी प्रणाली विद्यमान और कार्यरत थी;
- क्या भूमि प्रबन्धन गतिविधियों के योजनाबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक प्रभावी आन्तरिक नियन्त्रण एवं निगरानी प्रणाली विद्यमान थी।

2-3 y[kkijh{kk dk;Z{ks=

डी डी ए मुख्यालय के साथ–साथ इसके विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों पर पाँच वर्षों अर्थात् 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 की अवधि के लिए भूमि के अधिग्रहण, भूमि के विकास, भूमि के निस्तारण एवं भूमि की सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों को जाँचा गया था।

2.4 y[kkijh{kk ekunaM ds lzksr

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदण्ड को निम्न स्रोतों से बनाया गया है:

- दिल्ली विकास अधिनियम, 1957;
- भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013;
- दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निस्तारण) नियम, 1981;
- सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी की गई नीतियाँ/दिशानिर्देश/अनुदेश;

- केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नियमावली;
- दिल्ली का मास्टर प्लान, 2021;
- अनुबंध करार एवं अन्य प्रासंगिक दस्तावेज।

2-5 y[kkijh{kk dk;Z i).kkyh ,oa tkap&ueuk

2-5-1 y[kkijh{kk dk;Z i).kkyh

यह निष्पादन लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश 2014 के प्रावधान के अनुसार की गई थी। जनवरी–मई 2015 के दौरान एक प्रायोगिक अध्ययन किया गया था और डी डी ए एवं शहरी विकास मंत्रालय (एम ओ यू डी) के प्रतिनिधियों के साथ 26 जून 2015 को एक उद्घाटन सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली, प्रयुक्त होने वाले लेखापरीक्षा मानदंड, विस्तृत लेखापरीक्षा कार्यक्रम आदि पर चर्चा की गई थी। डी डी ए के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया था।

लेखापरीक्षा के समापन के पश्चात्, 22 अप्रैल 2016 को जवाब के लिए चार सप्ताह के समय के साथ डी डी ए और एम ओ यू डी को डी डी ए में भूमि प्रबंधन पर एक प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया था। डी डी ए की प्रतिक्रियाएं जून 2016 में प्राप्त हुई थीं। एम ओ यू डी एवं डी डी ए के प्रतिनिधियों के साथ 16 जून 2016 को एक समापन सम्मेलन हुआ जिसमें मुख्य लेखापरीक्षा जाँच परिणामों तथा अनुशंसाओं पर चर्चा की गई। उसके पश्चात्, 14 अक्तूबर 2016 को पुनः एम ओ यू डी एवं डी डी ए को संशोधित ड्राफ्ट निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया जिसमें उनकी अंतिम टिप्पणियाँ दो सप्ताह के अंदर माँगी गई। दिनाँक 28 अक्तूबर 2016 के अपने जवाब में डी डी ए ने सूचित किया कि उनके पास प्रस्तुत करने के लिए कोई अतिरिक्त टिप्पणियाँ नहीं थी और पूर्व में प्रस्तुत जवाब को ही अंतिम माना जाए। डी डी ए से प्राप्त जवाबों, के साथ–साथ समापन सम्मेलन के दौरान उनकी प्रतिक्रिया पर विधिवत रूप से विचार किया गया तथा उन्हें इस प्रतिवेदन में समाविष्ट किया गया है। मंत्रालय का जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

2-5-2 y[kkijh{kk ueuk

डी डी ए ने लेखापरीक्षा द्वारा माँगी गई लेखापरीक्षा अवधि से संबंधित भूमि अधिग्रहण, भूमि विकास, भूमि के निस्तारण और नजूल-I संपत्तियों से संबंधित पूरी सूचना को उपलब्ध नहीं कराया। लेखापरीक्षा के लिए चयनित मामलों और उनके विरूद्ध डी डी ए द्वारा उपलब्ध करवाए गए रिकॉर्ड के विवरण निम्नानुसार है:

rkfydk&2 ys[kkijh{kk dh fy, p;fur ekeyksa dk fooj.k vkSj Mh Mh , }kjk miyC/k djok, x, fjdkMZ dh fLFkfr

fooj.k	izdkj	Ekkeyksa dh dqy la[;k ¼tks fd Mh Mh , }kjk miyC/k djk;h xbZ gS½	p;fur ekeyksa dh la[;k	ekeyksa dh la[;k ftuesa fjdkMZ miyC/k djok;k x;k
भूमि अधिग्रहण	vf/kxzg.k	39	19	18
	ifjof/kZr eqvkots	935	50	46
भूमि विकास	ieq[k ;kstuk,a@dk;Z	57	11	11
भूमि निस्तारण	lLFkkxr	141	50	40
	vkS|ksfxd	2	2	2
	oSdfYid vkoaVu	175	17	17
	Okkf.kfT;d	24	24	18
	Hkwfe foi.ku 'kk[kk] jkfg.kh	125	25	24
भूमि सुरक्षा	vfrØe.k fo/oal ekeys	734	37	14
नजूल I संपत्तियाँ	yht ekeys	i`.kZ C;kjk ugha fn;k x;k	60	13
	yhtgksYM ls ÝhgksYM esa ifjorZu	i`.kZ C;kjk ugha fn;k x;k	58	44
	gkfu iHkkjksa dh olwyh	i`.kZ C;kjk ugha fn;k x;k	21	12

2-6 vfHkLohd`fr

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान शहरी विकास मंत्रालय, डी डी ए एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त सहयोग को लेखापरीक्षा अभिस्वीकृत करती है।